

2-11-17

online Entry

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, धनबाद

एम० पी० केश नं० 594/20/17

धारा 107 द.प्र.स.

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र पर की गई कारवाही
6.4.17	<p>गणेश रानी बनाम केदार रानी <u>बलियापुर</u> थाना अप्राथमिकी सं० 12/17</p> <p>प्राप्त हुआ। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जाँच पदाधिकारी सं० अ०नि०/अ०नि० <u>बलियापुर</u> ने जाँच कर अपना प्रतिवेदन थाना प्रभारी <u>बलियापुर</u> थाना एवं अ० निरी० <u>सि-दरी</u> ने अग्रसारित किया है जिसमें उल्लेख है कि उभय पक्षों की बीच <u>सार-पीट</u> को लेकर तनाव है। उभय पक्ष कानून को अपने हाथों में लेकर स्थानीय परिशांति भंग करने पर तुले हुए तथा एक दूसरे के जान-माल पर खतरा पहुँचा सकते हैं। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि पक्षों के बीच गंभीर तनाव व्याप्त है तथा इनके कार्यों से कभी भी लोक परिशांति भंग हो सकती है। पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मैं उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107 द०प्र०सं० की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को निर्देश देता हूँ कि वे मेरे न्यायालय में दिनांक <u>2.5.17</u> को 10.30 बजे पूर्वाह्न उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं लोक परिशांति बनाये रखने के लिए आपके ₹ 5000.00 रु० का दो समप्रतिभृतियों के साथ बन्धपत्र लिया जाय।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p><i>Lu</i> अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद</p> <p><i>Lu</i> अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद</p>	<p>18/5/17</p> <p>29/5/17</p> <p>12/6/17</p> <p>23/6/17</p> <p>8/7/17</p> <p>25/8/17</p> <p>10/8/17</p> <p>28/8/17</p> <p>8/9/17</p> <p>23/9/17</p> <p>7/10/17</p> <p>14/10/17</p> <p>28/10/17</p> <p>11/11/17</p> <p>25/11/17</p> <p>9/12/17</p> <p>लगाए</p>

TR-66/17

न्यायालय श्रीमती रेणु कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, धनबाद

राष्ट्रीय लोक अदालत, धनबाद

एम0पी0वाद सं0.....594..... /17.....

09.12.2017

वाद अभिलेख को राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

वाद अभिलेख का अवलोकन किया गया। वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। तथा उभय पक्षों को वाद की कार्यवाही में कोई अभिरुची प्रतित नहीं होता है। ऐसा प्रतित होता है कि दोनो पक्षों के बीच अशांति व्याप्त नहीं है। वाद की कार्यवाही कालबांधित हो चुका है।

अतः कार्यहित एवं न्यायहित के आलोक में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु प्राधिकृत
पीठासीन पदाधिकारी, धनबाद।